शुक्राणु भी वस्तु हैं!

यूएस के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि मानव शुक्राणुओं पर वही कानून लागू होता है जो कार के ब्रेक जैसी चीज़ों पर। अर्थात यदि कोई कंपनी शुक्राणु बेचती है और उनमें कोई खामी पाई जाती है तो वह उस खामी के लिए ज़िम्मेदार होगी और उचित मुआवज़ा भी देना पड़ेगा।

हाल ही में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने एक किशोरी ब्रिटेनी डोनोवन को इस संदर्भ में मुकदमा करने की इज़ाजत दी है। यह लड़की सीखने में गंभीर अक्षमता से ग्रस्त है। गौरतलब है कि उसका जन्म एक शुक्राणु बैंक (आइडेन्ट लेबोरेटरीज़) से प्राप्त शुक्राणु के उपयोग से हुआ था। इस समय वह 13 वर्ष की है। उसे जन्म से ही एक नाज़ुक एक्स गुणसूत्र मिला था। इसकी वजह से वह गंभीर अक्षमता से पीड़ित हो गई।

अब वह आइडेन्ट पर उत्पाद जवाबदेही कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाने जा रही है। यह कानून आम तौर पर मानव निर्मित उत्पादों पर ही लागू होता है।

इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि डोनोवन को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी कि शुक्राणु बैंक ने कोई लापरवाही की है। उसे तो बस इतना साबित करना है कि बैंक ने उसकी मां को जो शुक्राणु दिए थे वे खामीग्रस्त थे। जिनेटिक परीक्षणों से यह तो पहले ही साबित हो चुका है कि उसका जन्म जिस शुक्राणु की वजह से हुआ है वह उसे आइडेन्ट बैंक द्वारा दिए गए शुक्राणु से आया है।

इस मामले में गौरतलब बात यह है कि डोनोवन का गर्भधारण पेनसिल्वेनिया प्रांत में हुआ था। इस प्रांत में कानून के तहत मानव अंगों के व्यापार को वस्तु सम्बंधी कानूनों से छूट दी गई है। अलबत्ता न्यूयॉर्क में मानव अंग भी प्रोडक्ट लाएबिलिटी कानून के तहत गिने जाते हैं। इसलिए डोनोवन ने मुकदमा न्यूयॉर्क में किया है। संभव है अन्य लोग भी इस तरह की अदालती कार्रवाई का सहारा लेंगे।*(स्रोत फीचर्स)*